न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वादपत्र संख्या : 05/2009

वादीगणः– बनाम **प्रतिवादीगणः–**

वादीगणः–

1. सुरजकंवर पुत्री गायड़सिंह
2. चेनकंवर पुत्री गायड़सिंह के का.मु.
   2/1 पप्पुकंवर पुत्री चेनकंवर
   2/2 रामकंवर पुत्री चेनकंवर
   2/3 सुरेशकंवर पुत्री चेनकंवर

सभी जातियान– राजपूत, निवासीगण– लौटोती, तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. नारायणसिंह पुत्र गायड़सिंह के का. मु.
   1/1 कमलेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/2 चन्द्रमानसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/3 नितुकंवर पुत्री नारायणसिहं
   1/4 चेनकंवर पत्नी नारायणसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र गायड़सिंह
3. मिथलेशकुमारी पुत्री वीरबहादुरसिंह पत्नी पृश्वीसिंह फौत के का.मु.
   2/1 भगवतसिंह पुत्र पृश्वीसिंह
   2/2 राजेन्द्रसिंह पुत्री पृश्वीसिंह
4. पृश्वीसिंह पुत्र किशनसिंह जातियान–राजपूत निवासी–लौटोती तहसील– जैतारण।
5. रामकवरी पत्नी जुगलकिशोर मंत्री जाति–माहेश्वरी
6. सीतादेवी पत्नी गोपाल मंत्री जाति–महेश्वरी निवासीगण–डागावास तहसील– मेड़तासिटी जिला–नागौर
7. उर्वशी देवी पत्नी अनिलकुमार मुदड़ा जाति– मुदड़ा निवासी महावीर गज ब्यावर तहसील– ब्यावर जिला–अजमेर।
8. शीला पत्नी श्रीकान्त मंत्री जाति–माहेश्वरी
9. सुमित्रा पत्नी राकेश जाति–माहेश्वरी निवासीगण– डागावास तहसील– मेड़तासिटी जिाल– नागौर
10. तहसीलदार, जैतारण।

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा, तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

<u>तारीख रजूः.21/01/2009</u>

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, महेन्द्र कुमार गुरां, देवेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रति.।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

−:: निर्णय ::− दिनॉकः− 03/02/2020

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी संख्या 01 के स्वर्गीय पिता व वादी संख्या 02 के कायम मुकाम क्रमश 01, 02, 03 एवं प्रतिवादी नारायणसिंह, सुमेरसिंह स्वर्गीय गायड़सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति− राजपूत निवासी− लौटोती तहसील− जैतारण के उतराधिकारी व वारीसान है स्वर्गीय गायड़सिंह का वंशवृक्ष वादपत्र में अंकितानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय गायड़सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति−राजपूत निवासी लौटोती जो जाति− व धर्म से हिन्दू थे का देहान्त सन् 1968 में हुआ। उनके फौत होने के पश्चात उनकी जायदाद व कृषि भूमि के बतौर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत वादीगण व प्रतिवादी 01 व 02 उतराधिकारी व वारिस है। स्वर्गीय गायड़सिंह पुत्र बच्चनसिंह ग्राम लौटोती जैतारण में उनके पूर्वजों की जागीर की खुदकाश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लौटोती में स्थित थी। जो कृषि भूमि खसरा नंबर 248, 253, 945 कुल रकबा 161 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1007, 888, 904, 900, 64, 893, 905, 885, 886, 887, 896, 898, 907, 908, 910, 881, 884, 897, 902, 894, 895, 889, 890, 808 कुल खसरा 27 कुल रकबा 223 बीघा 11 बिस्वा एवं 1014 से 1032 व 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 796, 970, 971, 972, 973, 987, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 1033, 1034, 1035, 217, 986/1046 कुल खसरा 49 कुल रकबा 527 बीघा 06 बिस्वा खसरा नंबर 1026, 1005, 1006, 988, 252, 801, 944, 997, 1001 कुल खसरा 09 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण रकबा 925 बीघा खुदकाश्त की थी। जिसमें स्वर्गीय गायडसिंह पुत्र बच्चनसिंह का 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार के था। मिसल बंदोबस्त खतौनी बतौर खातेदार काश्तकार खुद काश्तकार के रूप में बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज किया गया। खतौनी बदोबस्त संवत 2011 से 2030 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की जा रही है। स्व गायड़सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी लौटोती की मृत्यु सन 1968 में हुई उक्त वक्त गायड़सिंह की मृत्यु के समय गायड़सिंह के उतराधिकारी सुरजकंवर, चेनकंवर, नारायणसिंह, सुमेरसिंह के उतराधिकारी थे जो उनकी भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हुये मगर पटवारी हल्का द्वारा मौजा लौटोती म्यूटेशन संख्या 244 श्री गायड़सिंह के फौतेदगी म्यूटेशन केवल उनके पुत्र नारायणसिंह व सुमेरसिंह के नाम का ही भरा गया व गायड़सिंह के नाम के स्थान पर नारायणसिंह, सुमेरसिंह का नाम दर्ज कर दिया। गायड़सिंह की मृत्यु के वक्त सुरजकंवर, चैनकंवर का नाम दर्ज नहीं किया गया व चैनकंवर की आज से 15 साल पूर्व मृत्यु हो चुकी जिनकी जायन्दा पुत्रीयां है व म्यूटेशन संख्या 244 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की जा रही है जो म्यूटेशन केवल दो लड़के नारायणसिंह, सुमेरसिंह के नाम भरा गया जो अवैध व गैर कानूनी है जिसे रद्द घोषित किया जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 गायड़सिंह के उतराधिकारी के तौर पर उनके नाम की कृषि भूमि के खातेदार घोषित किया जावे इसलिए वादीगण दावा घोषणा व रद्द करने म्यूटेशन व खातेदार काश्तकार घोषित करने का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश कर रहे हैं। गायड़सिंह पुत्र बच्चनसिंह की भूमि जिसमें वादी संख्या 01 का

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

/4 हिस्सा व चैनकंवर का यानि चैनकंवर के कायम मुकाम का 1/4 हिस्सा व
वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा के
ख़ातेदार कबजेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 945 रकबा 78-05 बिस्वा चाही
दोयम व खसरा नंबर 972 रकबा 20-03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा
नंबर 971 रकबा 01-15 बिस्वा, खसरा नंबर 973 रकबा 30-02 किश्म
बारानी दोयम, खसरा नंबर 992/1 रकबा 10-02 किस्म बारानी दोयम की कृषि
भूमि में वादी संख्या 01 का 1/4 व चैनकंवर के कायम का 1/4 हिस्सा के
रेकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होते हुए भी केवल मात्र गलती फौतेदगी
म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जो गायडसिंह के पुत्र थे ने
अवैध व गैरकानूनी रूप से वादीगण के हिस्से की जमीन का बेचान कर दिया
जिसमें खसरा नंबर 945 रकबा 78-05 बिस्वा के 3/08 हिस्से का अवैध व गैर
कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 05 रामकंवर के पक्ष में
एक लिखत पंजीबद्ध बेचान 10.10.08 को पंजीयन करवाया उक्त लिखत पंजीबद्ध
बैचान की नकल साथ पेश है। सरहद मौजा लौटोती में वाके आराजी खसरा नंबर
945 रकबा 78-05 बिस्वा के 1/4 हिस्से का वादी संख्या 01 व 1/4 हिस्से
का वादी संख्या 02 के का.मु. काबिज खातेदार काश्तकार होने से खातेदार
काश्तकार घोषित किया जावे व खसरा नंबर 972, 971, 973, 992/1 में भी
वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 02 चैनकंवर के कायम मुकाम
का 1/4 हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार घोषित की जावे व वादीगण
का बतौर खातेदार काश्तकार के जमाबन्दी खतौनी में दर्ज किया जावे। खसरा नंबर
945, 972, 973, 992/1 की चालू जमाबन्दी खतौनी संवत 2065/2068 की
प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावे। सरहद
मौजा लौटोती में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 945, 972, 971, 973,
992/1 की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 02 चैनकंवर के कायम
मुकाम का 1/4 हिस्से की भूमि का बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया
जाकर वादीगण के उक्त हिस्से की भूमि बांटी जाकर तकास्मा किया जाकर
नेखमबंदी कर पत्थरगढी की जावे खाता व लगान अलग-अलग किया जावे। यह
है कि खसरा नंबर 945, 971, 972, 973, 992/1 की कृषि भूमि वादीगण
अपने हिस्से के मौजूदा काबिज खातेदार काश्तकार है व मौके पर कब्जा काश्त है
जिसमें से वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करने पर आमादा है व प्रतिवादीगण
उक्त भूमि को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है लेकिन प्रतिवादीगण को
ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया
गया या वादीगण को बेदखल करने की कोशिश की गई तो वादीगण को असीम
क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं है ऐसा होने पर
वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिवानी व फोजदारी मुकदमें करने पड़ेगे जिससे
मल्टीपीलिसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए
वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। दावा
तकासमा आराजी होने प्रतिवादी संख्या 10 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है
इसके विरुद्ध कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक
18.01.2009 को प्रतिवादी संख्या 05 से 09 व उनके प्रतिनिधिगण मौके पर
आकर वादीगण को बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम लौटोती में
पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश हैं

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सुम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

प्रतिवादी संख्या 05 से 09 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। जवाबदावे में व्यक्त किया कि वादीनी संख्या 01 व 02 गायड़सिंह के उत्तराधिकारी व वारिसान होने के तथ्य की प्रतिवादीगण उत्तरदात्रीगण को व्यक्तिशः जानकारी न होने से अस्वीकार है। वादीगण ने अपना सही पता यानि वादीनी संख्या 01 ने अपने पति का नाम, निवास स्थान तथा वादीनी संख्या 02 के का. मु. संख्या 01 से 03 ने पिता का नाम, पति का नाम, पैतृक/ससुराल का पता पेश नहीं किया। जिससे भी वादीगण के सम्बन्ध में जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है। वादीगण ने बदयांति से अपना सही पता का उल्लेख नहीं किया है सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 06 नियम 14 ए के प्रावधानांतर्गत वादीगण का डाक का पता/ सही पता न होने से प्रस्तुत वाद की कार्यवाही विचारणीय नहीं है। गायड़सिंह का देहान्त कब हुआ, इस तथ्य की प्रतिवादीगण उत्तरदात्रीगण को व्यक्तिशः जानकारी न होने से अस्वीकार है। अतः यह पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र के चरण संख्या 02 के सम्बन्ध में जवाब है कि इस पैरा में उल्लेखित तथ्य रेकर्ड पर आधारित है जो रेकर्ड की सीमा तक विवाद नहीं है। वादपत्र में जिस रेकर्ड का उल्लेख किया है, उसमें उल्लेखित खसरा नंबर 909 व 901 का वादपत्र में उल्लेख नहीं है तथा वादपत्र में उल्लेखित खसरा 801 का रेकर्ड में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार वादीगण के उक्त अभिवचन में यह गलत प्रविष्ठियां है। जिसका संशोधन करवाना वादीगण के जिम्मे है। वादपत्र के चरण संख्या 03 का जवाब है कि जैसा कि ऊपर उल्लेखित है कि गायड़सिंह की मृत्यु एवं वादीनी संख्या 01 व 02 के उत्तराधिकारी के संबंध में अनभिज्ञता है। जिससे इन तथ्यों को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। राजस्व रेक्र्ड के अनुसर गायड़सिंह की मृत्यु के पश्चात राजस्थान-भू-राजस्व अधिनियम गायड़सिह की मृत्यु के पश्चात राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के प्रावधानांतर्गत नामांतकरण संख्या 244 मजमा-ए-आम(ग्राम पंचायत की मिंटिंग) में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम स्वीकार हुआ। यहां यह उल्लेखित करना उचित रहेगा कि किसी खातेदार की मृत्यु होने पर नामांतकरण उसके उत्तराधिकारियों की सहमति से भरा जाता है व स्वीकृत किया जाता है। उक्त नामांतकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के सजातीय तत्कालीन पटवारी व आर आई ने भरकर ग्राम पंचायत में पेश किया तथा तत्कालीन सरपंच श्री गोविन्दसिंह जो इनके सजातिय व गांव लौटोती के ही निवासी थे, ने स्वीकार किया। तत्कालीन सरपंच को गायड़सिंह के तत्समय के उतराधिकारियों की सहमति सम्मति से नामांतकरण नारायणसिंह व सुमेरसिंह के पक्ष में स्वीकार किया। वाद पत्र के चरण संख्या 04 का जवाब है कि वादपत्र के पैरा संख्या 02 में उल्लेखित खसरान की संवत 2028 से 2031 की खतौनी में दर्ज खातेदारान की सहमति से बंटवाड़ा का नामांतकरण संख्या 34 दिनांक 17.12.72 स्वीकृत हुआ। लालसिंह व गोविन्दसिंह के 1/3 हिस्सा की भूमि को अलग किये जाने व शेष आराजी में सवाईसिंह, गोविंदसिह, मोहनसिंह, कालूसिंह, पिसरान रणजीतसिंह का 1/4 हिस्सा, हुक्मसिंह पुत्र देवीसिंह का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 नारायणसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया। यहा यह लिखना सुसंगत रहेगा कि वादीगण की उक्त नामांतकरण संख्या 34 के संबंध में आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वादीगण स्वयं की उक्त स्वीकृति से

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

नामांतरकरण संख्या 34 में उल्लेखित कुल 44 खसरान की 458 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा होने के स्वीकृत अभिवचन से भी वादीगण का विवादित आराजी में हक न होना प्रमाणित है। यहां यह लिखना भी प्रासंगिक रहेगा कि नामांतकरण संख्या 34 के आधार पर कुल 44 खसरान की उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4-1/4 हिस्सा होने से अन्य खातेदारान ने आपसी सहमति से उक्त 44 खसरान की उक्त आराजी का विभाजन किया तब खसरा नंबर 945 मीन, 971, 972, 973, 992 मी, 994, 995, 1003, 1004, 1005, 1026, 796 मीन, 944, 947 व 1000 कुल नंबर 15 कुल रकबा 176 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा नंबर 217 में से 24 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बंट में रखे गये, जिससे उक्त 15 नम्बरों की कुल 176 बीघा 07 बिस्वा व 24 बीघा 06 बिस्वा कुल 200 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज होती रही। यहां यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि वीदगण ने न तो वाद के पैरा संख्या 02 में उल्लेखित खसरान के विभाजन का नामांतकरण संख्या 34 को चुनौती दी और न उक्त विभाजन के पश्चात उपरोक्त खातेदारान की आपसी सहमति से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बंट में आये। उक्त 16 नम्बरों की कुल 200 बीघा 13 बिस्वा को ही चुनौती दी। इस प्रकार से वादीगण का प्रस्तुत वाद जिस प्रकार से पेश किया गया, वह काबिल खारिज के है। यहां यह भी उल्लेखित करना उचित रहेगा कि उक्त 16 नम्बरों की उक्त आराजी की खातेदारी केवल पृथक से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज होने व उक्त 16 नम्बरों के खातेदारी अधिकार, काश्त, कब्जा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने साधिक खुल रूप से अपने हिस्से में खसरा नंबर 945 मीन रकबा 78 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नंबर 944 रकबा 13 बिस्वा के 1/8 हिस्सा का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 30.05.89 को प्रतिवादी संख्या 04 व मिथलेशकुमारी के पक्ष में करके उक्त खसरान पर पृथक से प्रतिवादी संख्या 04 व मिथलेश कुमारी का कब्जा कराया। उक्त बेचाननामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 04 व मिथलेश कुमारी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 709 के जरिये उक्त खसरा में खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 04 व मिथलेख कुमारी के नाम हुआ। प्रतिवादी संख्या 04 व मिथलेश कुमारी, वादीगण की सजातीय व उनके पीहर पक्ष के है, जिनके उक्त बेचाननामा दिनांक 30.05.89 की वादीगण को प्रारम्भ से जानकारी है, जिनके संबंध में वादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की और न उक्त बेचाननामा को चुनौती ही दी। इस प्रकार से वादीगण ने तथ्यों को छिपाकर स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये। जिससे भी वादीगण की बदनियित प्रमाणित है। विवादित खसरान के रेकार्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 होने से उपरोक्त बेचाननामे विधिसम्मत होने से तथा विवादित खसरान पर प्रतिवादिया संख्या 05 से 09 का काश्त होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानांतर्गत नामांतकरण संख्या 1722 व 1723 को रद्द किये जाने का कोई आधार नहीं है। विवादित खसरान के किसी भी भाग पर वादीगण का कभी काश्त, कब्जा नहीं रहा और न कभी खातेदारी अधिकार ही प्राप्त हुए। वादीगण विवादित खसरान की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारीणी नहीं है। इस संबंध में विस्तृत जवाब उपर दिया जा चुका है। विवादित खसरान पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का टाईम इन मेमोरियल से संयुक्त काश्त व कब्जा व सन 1972 से विवादित खसरान पर ऐक्सक्लूजिवली एवं सेपरेट

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

पजेशन केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का निरंतर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है तथा रेकर्ड ऑफ राईट्स में पिछले 40 वर्षो से निरंतर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वार्षिक रजिस्टर में दर्ज है तथा भूमिधारी को लगान भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा किया जा रहा हैं विवादित खसरान सहित अन्य खसरान की खातेदारी अधिकार काश्त व कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 30.05.89 को साधिकार प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को खसरा नंबर 945 व 944 का 1/8 हिस्सा का रजिस्टर्ड बेचाननामा किये जाने व पृथक से कब्जा सौंपे जाने तथा उक्त बेचाननामे किये जाने व पृथक से कब्जा सौंपे जाने तथा उक्त बेचाननामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 709 द्वारा खातेदारी इन्द्राज होने की स्थिति रेकॉर्ड ऑफ राईट्स एवं मौके की भौतिक स्थिति से होने की स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 05 से 09 ने विवादित खसरान का प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से सौदा कर रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.10.08 को करवाया। प्रतिवादीगण संख्या 05 से 09 ने विवादित खसरान के संबंध में मौके पर काश्त व कब्जा की भौतिक स्थिति, पड़ौसी एवं सह खातेदारों की कब्जा की स्थिति एवं विधिवत धारित अधिकार अभिलेख की जांचकर विवादित खसरान का रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाया। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 05 से 09 बोनाफाईड पर्चेजर फोर वेल्यू है। विवादित खसरान का प्रतिवादी संख्या 05 से 09 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा किये गये उक्त बेचाननामे विधिवत होने से राजस्व कर्मचारी, अधिकारी ने नामांतकरण संख्या 1722 व 1723 स्वीकार कर खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 05 से 09 के नाम किये। प्रतिवादीगण संख्या 05 से 09 विवादित खसरान की विवादित आराजी के रेकोर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रेकोर्डेड खातेदार के विरुद्ध वादीगण स्थाइ निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 05 से 09 के खास मुख्तियार श्री गोपाल उर्फ बाबूभाई पुत्र बालकिशन मंत्री की ओर राजीनामा पेश हुआ। राजीनामे में व्यक्त किया कि उपरोक्त अनवान के दावे में वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाइश से राजीनामा कर लिया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है कि सरदह मौजा लौटोती के खसरा नंबर 945 के 592/1565 हिस्से में से 20 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 06 सीतादेवी पत्नी श्रीगोपाल मंत्री वादीगण के नाम करायेगी। जिसके पड़ौस उत्तर में रामंकवरी व सीतादेवी व उर्वशीदेवी की जमीन, दक्षिण में जब्बरसिंह वगैरा की जमीन, पूर्व में पृथ्वीसिंह व रामकंवरी वगैरा की जमीन, पश्चिम में कुम्हारों की जमीन व गांवाई जमीन तथा खसरा नम्बर 973 में प्रतिवादी संख्या 08 शीलादेवी व प्रतिवादी संख्या 09 सुमित्रा का नाम दर्ज है उसकी जगह शीलादेवी का 1/2 हिस्सा रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा व सुमित्रा देवी का इसी भूमि 02 बीघा 09 बिस्वा जमीन वादीगण के नाम करायेगी। यानि खसरा नंबर 973 में से 22 बीघा जमीन वादीगण के नाम रहेगी। इस जमीन के पड़ौस उत्तर में गांवाई जमीन, दक्षिण में सुमित्रादेवी की जमीन, पूर्व में सुमित्रा देवी की जमीन, पश्चिम में गांवाई जमीन जिसमें तालाब खुदवाया हुआ है। इसी माफिक वादी संख्या 01 को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 02 के कायम मुकाम को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, बकाया हिस्सा बदस्तूर रहेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण के अब आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है माफिक राजीनामा के वादीगण को

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

अपने हिस्से माफिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, जवाबदावा, राजीनामा, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वाद-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने स्वर्गीय पिता गायड़सिंह के फौत हो जाने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत विरासत से अपने भाईयों जो कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है के समान ही हक व अधिकार निहित होनें से अधिकारों की घोषणा बाबत दावा किया गया है, क्योंकि पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत से नामांतरण केवल प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में ही किया गया है। हमनें ग्राम- लौटोती, तहसील-जैतारण की जमाबंदी संवत् 2011-2030, जमाबंदी संवत् 2028-2031 एवं नामांतरण संख्या 244 का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में गायड़सिंह वल्द बचनसिह 1/3 हिस्सा के खातेदार दर्ज है, जो कि वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पिता थे, जिनके फौत होने पर नामांतरण संख्या 244 द्वारा उनके दो पुत्रों नारायणसिंह व सुमेरसिंह जो कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है को बतौर उत्तराधिकारी दर्ज किया गया। इस प्रकार यह तो सुस्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी होनें एवं अपने पिता के फौत हो जाने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-08 के तहत वादीगण का अपने भाइयों के समान ही पिता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होनें के नाते वादग्रस्त आराजी में अपने भाईयों अर्थात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के समान ही हक व अधिकार निहित है, जिसकी घोषणा करवाने की वे अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 05 से 09 को बैचान किया गया है। बैचान की गई आराजी में भी वादीगण का हक-हिस्सा कानूनन निहित था, जिसे घोषित करवानें की वादीगण अधिकारिणी है। वादीगण मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 05 से 09 की ओर से आम मुख्त्यार श्री गोपाल उर्फ बाबूभाई मय अधिवक्ता ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 9.12.2019 को तस्दीक किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 02 से कोई अनुतोष नहीं चाहिये। अतः राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाये। अतः हम राजीनामानुसार प्रकरण का निर्णय किया जाना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी जरिये राजीनामानुसार बखूबी साबित होने से निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है-

1- ग्राम-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा संख्या 945 रकबा 78-05 बीघा में से खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 06 सीतादेवी पत्नी श्रीगोपाल मंत्री अपने हिस्से 592/1565 में से 20 बीघा आराजी जिसके पड़ौस उत्तर में रामकंवरी व सीतादेवी व उर्वशीदेवी की जमीन, दक्षिण में जब्बरसिंह की जमीन, पूर्व में पृथ्वीसिंह व रामकंवरी की जमीन, पश्चिम में कुम्हारों की जमीन व गांवाई जमीन है, का वादी संख्या 01 सूरजकंवर पुत्री गायडसिंह को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 02 चेनकंवर पुत्री गायडसिंह के कायम मुकाम पप्पूकंवर पुत्री

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

चेनकंवर, रामकंवर पुत्री चेनकंवर, सुरेशकंवर पुत्री चेनकंवर को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

2- ग्राम-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा संख्या 973 रकबा 39-02 बीघा में से खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 08 शीलादेवी पत्नी श्रीकान्त मंत्री के सम्पूर्ण हिस्से 1/2 भाग अर्थात 19 बीघा 11 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 09 सुमित्रा पत्नी राकेश के हिस्से 1/2 भाग अर्थात 19 बीघा 11 बिस्वा आराजी में से 02 बीघा 09 बिस्वा जमीन जिसके पड़ौस उत्तर में गांवाई जमीन, दक्षिण में सुमित्रादेवी की जमीन, पूर्व में सुमित्रादेवी की जमीन, पश्चिम में गांवाई जमीन जिसमें तालाब खुदवाया हुआ है, का वादी संख्या 01 सूरजकंवर पुत्री गायडसिंह को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 02 चेनकंवर पुत्री गायडसिंह के कायम मुकाम पप्पूकंवर पुत्री चेनकंवर, रामकंवर पुत्री चेनकंवर, सुरेशकंवर पुत्री चेनकंवर को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 03/02/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

वादीगणः–

1. सुरजकंवर पुत्री गायड़सिंह
2. चेनकंवर पुत्री गायड़सिंह के का.मु.
   2/1 पप्पुकंवर पुत्री चेनकंवर
   2/2 रामकंवर पुत्री चेनकंवर
   2/3 सुरेशकंवर पुत्री चेनकंवर

सभी जातियान– राजपूत,
निवासीगण– लौटोती,
तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. नारायणसिंह पुत्र गायड़सिह के का.मु.
   1/1 कमलेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/2 चन्द्रमानसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/3 नितुकंवर पुत्री नारायणसिहं
   1/4 चेनकंवर पत्नी नारायणसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र गायड़सिंह
3. मिथलेशकुमारी पुत्री वीरबहादुरसिंह पत्नी पृश्वीसिंह फौत के का.मु.
   2/1 भगवतसिंह पुत्र पृश्वीसिंह
   2/2 राजेन्द्रसिंह पुत्री पृश्वीसिंह
4. पृश्वीसिंह पुत्र किशनसिंह
   जातियान–राजपूत निवासी–लौटोती
   तहसील– जैतारण।
5. रामकवरी पत्नी जुगलकिशोर मंत्री
   जाति–माहेश्वरी
6. सीतादेवी पत्नी गोपाल मंत्री
   जाति–महेश्वरी निवासीगण–डागावास
   तहसील– मेड़तासिटी जिला–नागौर
7. उर्वशी देवी पत्नी अनिलकुमार मुदड़ा
   जाति– मुदड़ा निवासी महावीर गज
   ब्यावर तहसील– ब्यावर जिला–अजमेर।
8. शीला पत्नी श्रीकान्त मंत्री
   जाति–माहेश्वरी
9. सुमित्रा पत्नी राकेश जाति–माहेश्वरी
   निवासीगण– डागावास तहसील–
   मेड़तासिटी जिल– नागौर
10. तहसीलदार, जैतारण।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0: 05/2009

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, महेन्द्र कुमार गुरां, देवेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी जरिये राजीनामानुसार बखूबी साबित होने से निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है–

1– ग्राम–लौटोती, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 945 रकबा 78–05 बीघा में से खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 06 सीतादेवी पत्नी श्रीगोपाल

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

मंत्री अपने हिस्से 592/1565 में से 20 बीघा आराजी जिसके पड़ौस उत्तर में रामकंवरी व सीतादेवी व उर्वशीदेवी की जमीन, दक्षिण में जब्बरसिंह की जमीन, पूर्व में पृथ्वीसिंह व रामकंवरी की जमीन, पश्चिम में कुम्हारों की जमीन व गांवाई जमीन है, का वादी संख्या 01 सूरजकंवर पुत्री गायडसिंह को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 02 चेनकंवर पुत्री गायडसिंह के कायम मुकाम पप्पूकंवर पुत्री चेनकंवर, रामकंवर पुत्री चेनकंवर, सुरेशकंवर पुत्री चेनकंवर को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

2- ग्राम-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा संख्या 973 रकबा 39-02 बीघा में से खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 08 शीलादेवी पत्नी श्रीकान्त मंत्री के सम्पूर्ण हिस्से 1/2 भाग अर्थात 19 बीघा 11 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 09 सुमित्रा पत्नी राकेश के हिस्से 1/2 भाग अर्थात 19 बीघा 11 बिस्वा आराजी में से 02 बीघा 09 बिस्वा जमीन जिसके पड़ौस उत्तर में गांवाई जमीन, दक्षिण में सुमित्रादेवी की जमीन, पूर्व में सुमित्रादेवी की जमीन, पश्चिम में गांवाई जमीन जिसमें तालाब खुदवाया हुआ है, का वादी संख्या 01 सूरजकंवर पुत्री गायडसिंह को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 02 चेनकंवर पुत्री गायडसिंह के कायम मुकाम पप्पूकंवर पुत्री चेनकंवर, रामकंवर पुत्री चेनकंवर, सुरेशकंवर पुत्री चेनकंवर को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/02/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	09-00	स्टाम्प वकालतनामा	06-00
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	04-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजान:-	20-00	मिजान:-	06-00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 10:58:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: